उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 147/2023–24 दिनांक : 27.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री किशन लाल,
वार्ड नं0 06 ब्लॉक के सामने गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री किशन लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.09.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6C308154717 (02 किलोवाट घरेलू) पर लगे खराब विद्युत मीटर को हटाकर नया विद्युत मीटर स्थापित कर दिया गया है जिसकी वर्तमान रीडिंग 1277 केडब्लूएच दर्ज है फिर भी विभाग द्वारा आईडीएफ के आधार पर बिल जारी किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने आईडीएफ विद्युत बिल (रू0 35599.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 04.09.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.09.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री नसीम अहमद, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–1774 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत मापक 10/2021 में बदला गया था

क्रमशः 2.....

जबकि उसके विद्युत बिल 07 / 2017 से आईडीएफ के आधार पर प्रेषित हो रहे थे। वर्तमान में माह 09 / 2023 में परिवादी के विद्युत मापक में दर्ज रीडिंग 1783 के आधार पर एवं आई0डी0एफ0 विद्युत बिलों को मैनुअली संशोधित कर रू0 18093.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट, संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती)	(नवीन चन्द्र तिवारी)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य